R.M.M Law College
Saharsa

Amrendra Kumar Trivedi
Part. Time Law Teacher
Subject - Evidence Act
Part. III

कानूनी उपधारणा तथा तथ्यों की विवेचना तथा तथ्यों की उपधारणा

सामान्यतया किसी भी तथ्य को साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाता है। परन्तु कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो बिना साक्ष्य की उपधारणा (presumption) के आधार पर प्रमाणित मान लिया जाता है। उपधारणा किसी तथ्य को मान लिया जाता है। अस्तित्व का एक ऐसा निष्कर्ष या अनुमान है जो संबंधित पहले से साबित होता है और घटनाओं की सामान्य क्रम से मान लिया जाता है। उपधारणाएं प्रकृति की वह होती, जाइके मान लिया जाता है। यदि किसी के वह होती पर प्रतिकूलित [illegible] भी हो सकती है। ऐसा निष्कर्ष जो न्यायालयों के आधार पर निकाला के द्वारा असंभावित तर्क के विवेचना के आधार पर जाता है और सन्तोष और न्यायालय द्वारा किये साबित हो सकता है। जो उपधारणा भी सिद्ध हो जाने। उपधारणा एक तरिके उपधारणा हो सकती है जो कानूनी और निकालते अनुमान होती है। किसी खास तथ्य को निर्देश करते हैं। कानून के लिये न्यायधीशों को निर्देश के रूप में कानून की के आज्ञात्मक निर्देश उनके अनुसार जाती है। इसलिए न्यायधीश उनके अनुसार निर्णय देने को बाध्य होते हैं। किन्तु कुछ खण्डनीय उपधारणा भी होती हैं जिसे खण्डनीय उपधारणा कहते हैं। (Rebuttible presumption) खण्डनीय उपधारणा जो साक्ष्य द्वारा खण्डनीय भी किया जा सकता है।

तथ्यों की उपधारणा :- (Presumption of Fact)
तथ्यों की उपधारणाएं कल्पना हैं जो एक तथ्य को साबित होने पर की जाती है।

इसके अलावा कुछ तथ्यों की उपधारणा किसी तथ्य के अस्तित्व की तार्किक एवं विवेचक आधार पर माना जाता है, और बिना किसी कानूनी तर्क निकाले जाते हैं। जो केवल तार्किक निष्कर्ष माना जाता है, यह मानव मस्तिष्क की रचना मानी जाती है। मानव कार्यों के आचरण और समाज की आदत तथा प्रथा पर आधारित है।
ऐसी उपधारणा सर्वथा खण्डनीय होती है
जैसे कोई व्यक्ति लगातार सात वर्षों तक गायब हो जाता है तथा किसी ने उसे देखा नहीं तो कोर्ट विधि में विधि की उपधारणा होगी कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। अगर सात वर्षों के भीतर अगर मृत्यु साबित करनी होगी इसके लिए तथ्य की आवश्यकता होगी कि उस व्यक्ति की मृत्यु हुई या नहीं।